



7005
2018

विक्रय विलेख



महाराष्ट्र सरकार
देहरादून

मालियत विक्रय पत्र रू0 24,01,875/-

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है रू0 24,02,000/-

अनुबन्ध के समय दी गयी स्टाम्प ड्यूटी- 55,000/-

स्टाम्प शीट की संख्या 08.

स्टाम्प शुल्क रू0 65,100/- आवास विकास शुल्क सहित कुल स्टाम्प का योग रू0 65,100/-

मैं/हम कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड़ देहरादून ID No .63

गोदाम संख्या-B-07 ट्रान्सपोर्ट नगर, फेज-द्वितीय योजना सेवला खुर्द देहरादून।

के मालिक व काबिज है और हमारी सम्पति हर प्रकार के भार व रहन से मुक्त है, उसको बदस्त और श्री हिमांशु कपूर पुत्र श्री मदन मोहन कपूर, निवासी 302 दून रॉयल अपार्टमेन्ट, सेवलाकला, शिमला, बाईपास, देहरादून। को विक्रय कर दिया है.....लेखानुसार.....को निम्नप्रकार... लेखानुसार.....वसूल पाया. लेखानुसार. विवरण सहित.....लेखानुसार.....बाकें.....लेखानुसार.....

पेनकार्ड नम्बर-ADLPK2540H

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

Limypho

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

UTTARAKHAND

Q A 483341

(2)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 6. माह. अगस्त दो हजार तेरह को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 रूपान्तरण उत्तराखण्ड नगर योजना एवं विकास अधिनियम 2002 के अधीन गठित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जिसका प्रधान कार्यालय देहरादून में है। जिसे एतत्-पश्चात प्राधिकरण कहा गया है जिसका कार्य उसके उपाध्यक्ष के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त प्राधिकरण इसका पदधारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिणी से है और सम्मिलित है, प्रथम पक्ष और श्री हिमांशु कपूर पुत्र श्री मदन मोहन कपूर, निवासी 302 दून रॉयल अपार्टमेन्ट, सेवलाकला, शिमला, बाईपास, देहरादून। जिसे एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक केता, कहा गया है, और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है द्वितीय पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि चूंकि, उक्त प्राधिकरण भूमि का स्वामी है और उसने शहर/ नगर

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

Signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000

Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A 121593

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना तहसील देहरादून जिला देहरादून में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना फेस-II नामक मुहल्ले के उच्च आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग/अल्प आय वर्ग/समाज के दुर्बल आय वर्ग का मकान/ गोदाम टाइप बी संख्या-07 का निर्माण किया है, और चूंकि उक्त प्राधिकरण ने रुपये- 24,01,875/- रुपये (चौबीस लाख एक हजार आठ सौ पिच्चेहतर रुपये मात्र) जिसका आधा रुपये 12,00,937.50 (रुपये बारह लाख नौ सौ सैन्तीस रुपये पैसा पच्चास मात्र) होवा है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त गोदाम टाइप बी संख्या-07 को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची 'क' में उल्लिखित है। (जिसे एतत्पश्चात उक्त भूखण्ड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि पंजीकृत इच्छुक केता उक्त भूखण्ड को प्राधिकरण से उक्त मूल्य पर इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन कय करने के लिए सहमत है अतएव अब रुपये-24,01,875/- रुपये (चौबीस लाख एक हजार आठ सौ पिच्चेहतर रुपये मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप ओर सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन प्राधिकरण एतद् द्वारा..... ट्रान्सपोर्ट नगर योजना सेवला खुर्दमें स्थित सम्पूर्ण (भवन और संरचना/ गोदाम टाइप बी संख्या-07 जिसे नीचे दी गयी अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है :-

महोदय
देहरादून जिला
हकीम

Signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

UTTARAKHAND

LA 483728

1. प्राधिकरण को उक्त भूखण्ड का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए प्राधिकरण का गठन किया गया था, एतद्-एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
2. एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त भूखण्ड समस्त भारग्रहस्तता, भार, दावे और मांग से मुक्त है।
3. उक्त भूखण्ड का वास्तविक कब्जा पंजीकृत इच्छुक कंता को दिनांक 24.4.2013 परिलब्ध किया गया।
4. पंजीकृत इच्छुक कंता उक्त भूखण्ड को प्राधिकरण द्वारा या उक्त प्राधिकरण के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपयोग करेगा।
5. यदि पंजीकृत इच्छुक कंता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भारग्रहस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त प्राधिकरण के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त प्राधिकरण पंजीकृत इच्छुक कंता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा।
6. उक्त भूखण्ड का विक्रय कर दिया गया है और पंजीकृत इच्छुक कंता ने इस उक्त प्राधिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक कंताओं के पंजीकरण की योजना से सम्बन्धित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

संलग्न प्रमाण

Signature



(क) भूखण्ड का हस्तान्तरण पंजीकृत इच्छुक कंता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और पंजीकृत इच्छुक कंता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी।

(ख) पंजीकृत इच्छुक कंता द्वारा भूखण्ड का उपयोग केवल निर्दिष्ट कार्यों हेतु किया जाएगा।

7. उक्त भूखण्ड का विक्रय कर दिया गया है और पंजीकृत इच्छुक कंता ने इसे बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि पंजीकृत इच्छुक कंता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के अनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि पंजीकृत इच्छुक कंता उक्त प्राधिकरण की कालोनी में सड़कों जल समपत्ति, बिजली सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और अब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक कंता द्वारा प्राधिकरण को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त मकान / गोदाम टाइप बी संख्या-07 पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और प्राधिकरण उक्त धनराशि को 18 प्रतिशत (अठारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित पंजीकृत इच्छुक कंता से वसूली करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

रजिस्ट्रार का

a

Signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000

Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES



A 121172

खण्ड UTTARAKHAND

8. मंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त भूखण्ड का उपयोग आवंटित प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा/करेगी और वह विक्रय किये गये मकान/भूखण्ड के सम्बन्ध में प्राधिकरण के सीधी अनुदेशों का सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

9. इस विलेख के अधीन प्राधिकरण से इच्छुक क्रेता को ऐसी भूमि में जिस पर उक्त गोदाम टाइप बी संख्या 07 स्थित है। यह अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी प्रकार का कोई इक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10. क्रेता द्वारा अपने भूखण्ड में सेप्टिक टैंक, सॉकपिट बनाकर अपने सीवर के डिस्पोजल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु.
10000

Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

A 121123

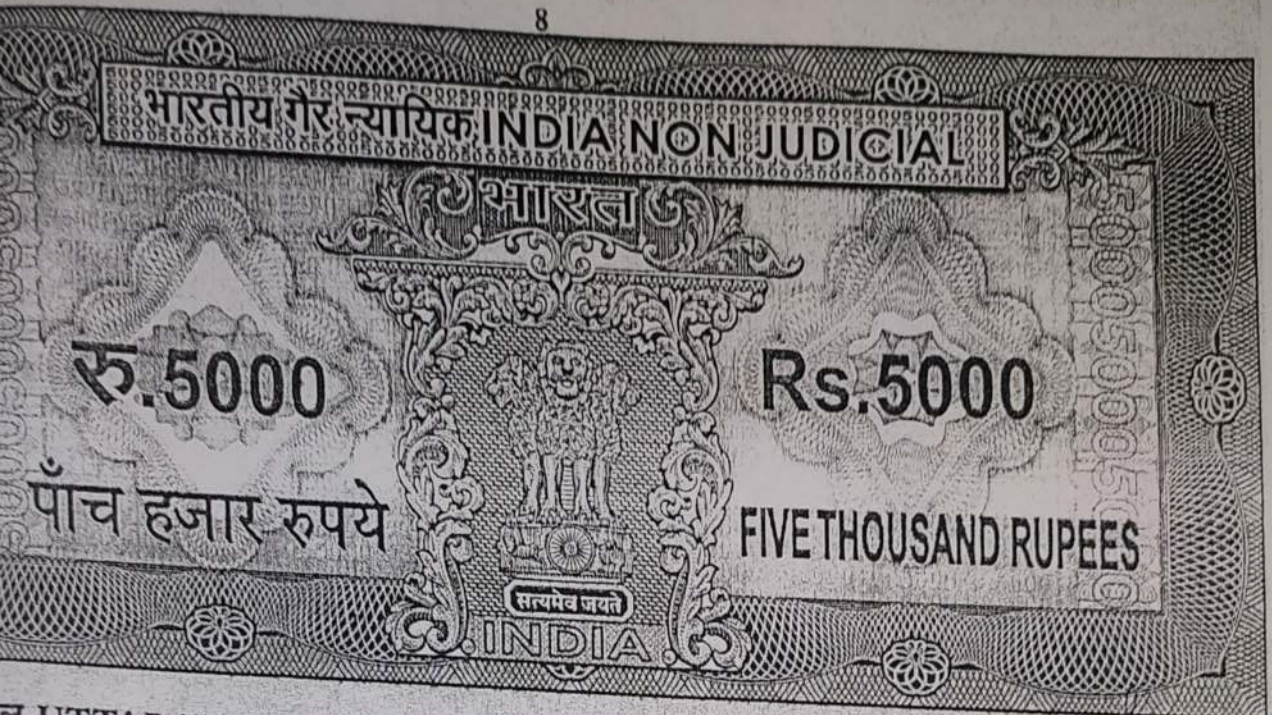
उत्तराखण्ड

11. क्रेता ने आवंटित पत्र एवं उपरोक्त लिखित सभी तथ्यों में दी गयी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है जिससे इस दस्तावेज के साथ ही साथ निष्पादित किया जाता है और उसे पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव आवंटन पत्र में दी गये शर्तों के अधीन होंगे।

जिसके साक्ष्य में श्री.....धनसिंह चौहान...सम्पत्ति लिपिक.....ने प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से और हिमांशु कपूर ..आशयिता क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

सम्पत्ति अधिकारी
मसूरी देनादना निजः प्राधिकरण
देनादना

Ling



ल UTTARANCHAL

734842

UG 2013

किताब
नं. 66

अनुसूची 'क'

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची: ट्रान्सपोर्ट नगर फेस-II

गोमायें: पूर्व रोड
श्चिम गोदाम टाईप-सी
त्तर गोदाम टाईप बी-06
क्षिण सर्विस एरिया

गोदाम टाईप बी संख्या-07
क्षेत्रफल 15x15=225.00 वर्गमीटर

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

प्रभारी अधिकारी

कृते उपाध्यक्ष, A

म0दे0वि0प्रा0 देहरादून

प्रथम पक्ष

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर.....

नाम श्री हिमांशु कपूर

पुत्र श्री मदन मोहन कपूर,

निवासी 302 दून रॉयल अपार्टमेन्ट,
सेवलाकला, शिमला, बाईपास, देहरादून।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

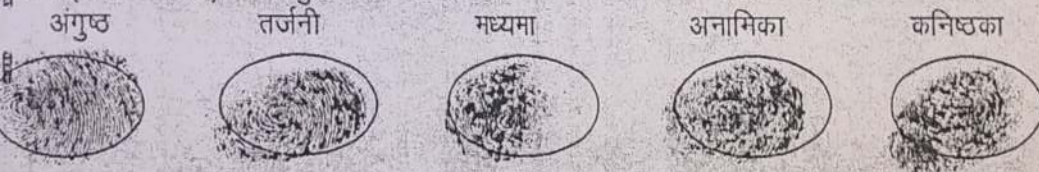
H 563959

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स

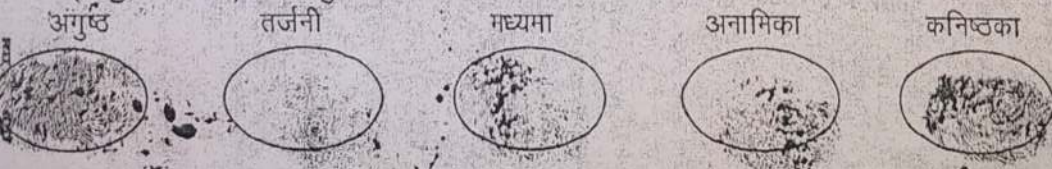
पक्ष/विकेता का नाम एवं पता:- सम्पत्ति अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, रनपुर रोड, देहरादून।

प्रथमपक्ष/विकेता के हस्ताक्षर
 प्रथमपक्ष/केता का नाम एवं पता :- श्री हिमांशु कपूर पुत्र श्री मदन मोहन कपूर, निवासी 302, दून रॉयल अपार्टमेन्ट, सेवलाकला, शिमला, बाईपास, देहरादून।

बायाँ हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



दायाँ हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह



साक्षी सं 1 RAVI NAGPAL

पता Late S. K. N. R. NAGPAL

द्वितीयपक्ष/केता के हस्ताक्षर

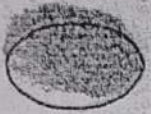
साक्षी सं 2

नाम व पता 8/04/11 Bheh

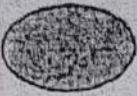
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स
प्रथम पक्ष/विकेता का नाम एवं पता:- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट
नगर सहारनपुर रोड देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

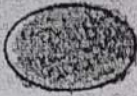
अंगुष्ठ



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका

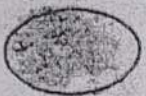


कनिष्ठका



दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठका



Limpe

Blue

प्रथम पक्ष/विकेता के हस्ताक्षर